ISSN: 2348-3083
SJIF 2016 : 4.44
UGC APPROVED SR. NO. 48612
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR
HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

cky vf/kdkj vfHkofÙk ekiuh dk fuek.k एवं प्रमापीकरण

जयंत पाल सिंह, Ph. D. & शिरीष पाल सिंह, Ph. D.

[1]टी.जी.टी सर्वोदय बाल विद्यालय, सी ब्लॉक दिलसाद गार्डन दिल्ली .95

[2](पत्राचार लेखक) सह प्रोफेसर, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा - 442001, महाराष्ट्र

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

यों तो अभिवृत्तियों के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु हम यहाँ पर अत्यन्त संक्षेप में अभिवृत्ति की चर्चा करेंगे। अभिवृत्ति के सम्बन्ध में रेमर्स, रूमेल तथा गेज ने कहा है कि ''अभिवृत्ति अनुभवों द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है, जो कि सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।'' इसी प्रकार स्कोर्ड तथा बैकमेन ने अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि '' अभिवृत्ति, व्यक्ति के पर्यावरण के किसी एक पहलू के प्रति व्यक्ति की भावनाओं, विचारों की पूर्व प्रवृत्ति की निरन्तरता है।'' शैरिफ (1956) ने अभिवृत्ति के स्वरूप की चर्चा की है। उसके साथ अन्य मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के अनुसार अभिवृत्ति में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं–

1. अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती, ये अर्जित की जाती हैं।
2. अभिवृत्तियों का विकास अपने समूह में विकसित होने के साथ–साथ होता है।
3. अभिवृत्तियाँ न्यूनाधिक स्थायी होती है। लेकिन क्योंकि अभिवृत्तियाँ सीखी जाती हैं, इसलिए उन्हें परिवर्तित भी किया जा सकता है। अर्थात अभिवृत्तियाँ अपरिवर्तनीय नहीं होतीं।

4 अभिवृत्तियों में व्यक्ति, वस्तु का भाव निहित होता है। अभिवृत्तियाँ व्यक्तियों, समूहों, वस्तुओं या संस्थाओं के सम्बन्ध में बनाई जाती हैं। दूसरी ओर पर्यावरण विशेष के सम्बन्ध में भी उत्पन्न हो सकती हैं।

5 किसी व्यक्ति के प्रति वैरभाव उस व्यक्ति के समूह के प्रति वैरभाव में परिणत हो जाता है।

6 एक बार सीखी गई अभिवृत्ति आगे सीखी जाने वाली अभिवृत्ति को भी प्रभावित करती है।

7. अभिवृत्तियाँ भाव और संवेग से सम्बन्धित हैं।
8. अभिवृत्तियाँ किसी समूह के व्यक्तियों में लगभग समान रूप से उपस्थित रहती हैं।
9. अभिवृत्तियों में तीव्रता होती है। कहीं पर सकारात्मकता अतिन्यून होगी तो कहीं पर सकारात्मकता अधिकतम होगी। अर्थात सकारात्मकता एवं नकारात्मकता के भी स्तर होते हैं।
10. कहावतें, सूत्र, उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि अभिवृत्तियों के स्वीकरण में एवं उनके त्याग में प्रेरणा प्रदान करती हैं।

vfHkofÙk;k dk fodkl ,o mue ifjoru

अभिवृत्तियों का विकास एवं परिवर्तन स्वतःनिस्रत नहीं है। उनके विकास एवं परिवर्तन में अन्तवैयक्तिक सम्बन्ध निहित होते हैं। फलतः आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के कारक अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन का कार्य करते हैं। आन्तरिक कारकों में व्यक्ति के अनुभव एवं व्यक्तियों से संचार आदि सम्मिलित हैं। यह विशेष रूप से सत्य है कि नई अभिवृत्ति का निर्माण पूर्व अर्जित अभिवृत्ति में परिवर्तन की अपेक्षा सरल कार्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के बजाय नई अभिवृत्ति का निर्माण ही सोच–समझ कर किया जाए। बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का निर्माण करने के लिए उनमें जिज्ञासावृत्ति, कारण और तथ्य में विश्वास करने की वृत्ति का विकास, विश्वास का आधार प्रमाण पर आधारित होने के प्रति विश्वास, उदार मनोवृत्ति का विकास, सत्यनिष्ठा में विश्वास और वैज्ञानिक चिन्तन में विश्वास करने के लिए जिज्ञासा वृत्ति की तृप्ति, अंधविश्वासों से मुक्ति, उपयुक्त विधि से शिक्षण, वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन की अभिरुचि

का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों में यह विकास उनकी छोटी आयु से ही प्रारम्भ किया जाना लाभकर रहता है। कहा गया है –''कैच देम यंग'' या ''बूढ़े तोते को नहीं पढ़ाया जा सकता'' – अभिवृत्तियों के परिवर्तन के सम्बन्ध में यह सत्य प्रतीत होता है। अतः विधायक अभिवृत्ति निर्माण का कार्य प्राथमिक कक्षाओं से ही प्रारम्भ कर देना चाहिए।

vfHkofÙk&ifjoru dh fof/k

अभिवृत्ति–परिवर्तन की दो विधियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं। पहली हैं– व्यक्ति को बाह्य प्रभावों से प्रभावित करना और दूसरी है–समूह परिचर्चा, अन्योन्यक्रिया एवं समूह निर्णय, इसे वैनिंगटन विधि भी कहा जाता है। वैनिंगटन विधि में किसी सामाजिक समस्या पर पहले समूह चर्चा आयोजित की जाती है। समूह चर्चा में छात्र आपस में अपने विचारों का विनिमय करते हैं, उसके बाद समूह सामूहिक रूप से निर्णय लेता है इसलिए उसका पालन, दल के सभी सदस्य करते हैं। अभिवृत्ति–परिवर्तन के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त थर्स्टन, रेमर, कुर्त लेविन, बटलर मर्फी के अनुसंधानों को अति संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है–

1 चलचित्र व्यक्तियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन का कार्य कारगर रूप से करते है। जैसे–जैसे चलचित्रों की संख्या में वृद्धि होती चल जाती है वैसे ही वैसे अभिवृत्ति में परिवर्तन की दर की वृद्धि होती चली जाती है। चलचित्रों द्वारा विकसित अभिवृत्ति में स्थायित्व भी रहता है।

2 प्रचार सामग्री भी अभिवृत्ति को प्रभावित करती है।

3 शैक्षिक उपक्रम भी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने में समर्थ है। जैसे–जैसे शैक्षिक स्तर बढ़ता चला जाता है, वैसे ही वैसे अभिवृत्ति–निर्माण का कार्य भी बढ़ता जाता है।

4 सूचनाएँ एवं सुदृढ़ तर्क यद्यपि अभिवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं तथापि ये साधन समूहचर्चा, अन्योन्यक्रिया एवं सामूहिक निर्णय की अपेक्षा कम प्रभावी होते हैं।

5 सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है।

vfHkofÙk ekiuh dk fuekZ.k

हमारे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभिवृत्ति मापनी का निर्माण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के

लिए हमने पहले बाल–अधिकारों से सम्बन्धित अनुसंधान सारांशों तथा साहित्य का अध्ययन किया। अध्ययन के अपने संस्थानगत पुस्तकालय के अतिरिक्त नई दिल्ली स्थिति एन.सी.इ.आर.टी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, आई.सी.एस.एस.आर, सी.एस.डी.एस. (सेन्टर फार दि स्टडी ऑफ डवलेपिंग सोसाइटी), भारतीय बाल विकास परिषद, राष्ट्रीय महिला आयोग, इन्डियन सोशल इन्टीट्यूट जैसी संस्थाओं के समृद्ध एवं अत्याधुनिक पुस्तकालय में अध्ययन किया। इन पुस्तकालयों में प्राप्त सम्बन्धित सामग्री की फोटो प्रतियां प्राप्त की तथा नोट्स तैयार किए। उनका अनुवाद किया। केवल कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कहीं पर भी हिंदी भाषा में उपलब्ध साहित्य उपलब्ध नहीं हो सका। अध्ययन के दौरान ही अनुसंधायक ने अपने विषय से सम्बन्धित कथनों का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार लगभग 6 मास के अनवरत परिश्रम के बाद जो कथन एकत्रित हो पाये उनकी कुल संख्या 60 थीं।

इन कथनों को टाईप करा कर अपने विद्यालय के 10 अध्यापकों को क्रमशः दिया गया तथा उनसे निवेदन किया कि कथनों तथा अनुदेशों की भाषा को सरल तथा स्पष्ट करने के लिए अपने सुझाव दें तथा उन्हीं पृष्ठों पर संशोधन कर दें। तथा यह भी देख लें कि कथन वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हों। भ्रम पैदा करने वाले कथनों को सुधार दें। कथन का आकार छोटा कर दें तथा देख लें कि एक कथन में एक ही विचार उपस्थित रहें ।साथी अध्यापकों के सुझाव के अनुसार कथनों में सुधार किया गया तथा उपकरण के लिए 55 कथनों का चयन अनुसंधान

निदेशक महोदया की सलाह के आधार पर चयनित किए गयें 55 कथनों वाली अभिवृत्ति मापनी को 100 अध्यापकों पर प्रशासित किया गया। इसमें से उच्च अंक प्राप्तकर्ता 27 प्रतिशत अध्यापकों तथा 27 प्रतिशत निम्नतम अंक प्राप्तकर्ता अध्यापकों के उत्तर प्रपत्रों का चयन कर प्रत्येक कथन के प्राप्ताकों का मध्यमान तथा प्रमाप विचलन ज्ञात कर पारस्परिक क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई। इनमें से 15 कथनों का निष्कासन निम्न क्रांतिक अनुपात तथा क्षेत्र के आधार पर किया गया ताकि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व रहें। अंतिम अभिवृत्ति मापनी में कथनों की संख्या 40 रह गई है। अभिवृत्ति मापनी से निकाले गये कथनों की सूची इस प्रकार है।

lkj.kh 1 ikjfEHkd vfHkof`Rr ekiuh d e/;eku vdk e mPp oxZ rFkk fuEu oxZ d e/;eku vdk dk ikjLifjd ØkfUrd eY; rFkk mldk lkFkdrk Lrj

ijkuk Øekd	u;k Øekd	Øk eY;	lkFkdrk	ijkuk Øekd	u;k Øekd	Øk eY;	lkFkdrk
1	1	2.46	0.05	29	19	4.74	0.01
2	—	1.68	सा.न.	30	20	4.72	0.01
3	2	4.78	0.01	31	21	3.41	0.01
4	—	1.35	सा.न.	32	—	0.20	सा.न.
5	3	18.33	0.01	33	—	3.20	0.01
6	4	4.42	0.01	34	22	5.2	0.01
7	—	2.09	0.05	35	23	3.02	0.01
8	5	6.04	0.01	36	—	0.25	सा.न.
9	6	6.31	0.01	37	24	4.06	0.01
10	7	5.15	0.01	38	25	4.78	0.01
11	—	1.15	सा.न.	39	—	1.07	सा.न.
12	8	4.85	0.01	40	26	5.04	0.01
13	9	4.83	0.01	41	27	5.90	0.01
14	10	3.28	0.01	42	28	6.11	0.01
15	11	1.18	सा.न.	43	—	2.00	सा.न.
16	12	3.20	0.01	44	29	5.01	0.01
17	—	1.71	सा.न.	45	30	2.70	0.01
18	13	6.11	0.01	46	31	2.91	0.01
19	14	7.38	0.01	47	32	3.52	0.01
20	15	3.00	.01	48	33	5.99	0.01
21	16	6.00	0.01	49	34	2.70	0.01
22	17	3.24	0.01	50	35	6.00	0.01
23	—	1.96	सा.न.	51	36	3.50	0.01
24	—	1.71	सा.न.	52	37	3.25	0.01
25	18	3.25	0.01	53	38	4.28	0.01
26	—	0.72	सा.न.	54	39	5.4	0.01
27	—	1.94	सा.न.	55	40	6.52	0.01
28	—	0.74	सा.न.				

डिग्री ऑफ फ्रीडम 52 पर क्रान्ति अनुपात का 0.05 स्तर पर सार्थकता मूल्य 2.01 तथा 0. 01 स्तर पर सार्थकता मूल्य 2.68 होता है।

ikjfEHkd vfHkof`Ùk ekiuh l fudky x, dFkuk dh lph

2. लड़कियां गणित जैसे गूढ़ विषय नहीं समझ सकती।

4 जनाधिक्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण निर्धनता तथा बाल विवाह है।

7 लड़कियों को उतना अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए जितना की लड़कों को क्योंकि लड़कियां तो बिना अच्छे भोजन के भी स्वस्थ्य रहती है।

11 जिसने मुँह दिया है उसने हाथ भी दिए हैं। अतः परिवार नियोजन ठीक नहीं ।

17 मन्दबुद्धि बालक समाज के लिए अभिशाप है।

23 लड़के, लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।

24 शारीरिक विकलांगों को सामान्य शिक्षा की अपेक्षा रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाए।

26 भ्रूणहत्या के अपराधियों को कठोरतम सजा मिले।

27 लड़कियों को मां बाप की सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

28. अधिक संतान होना तो गरीबों के लिए अच्छा है।

32. मध्याह्न भोजन का सुप्रबन्ध करना सरकार का आवश्यक दायित्व है।

33. महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल करना नियोजक का आवश्यक दायित्व है।

36 बालश्रम उन्मूलन के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आवश्यक है।

39. बालश्रम उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करना आवश्यक हैं ।

43 लड़के लड़कियों में विभेद करने की बात गलत है।

अभिवृत्ति मापनी में अवशिष्ट 40 कथनों तथा अंतिम से पूर्व की अभिवृत्ति मापनी के 55 कथनों के पुराने तथा नए क्रमांकों के 27 प्रतिशत उच्च अभिवृत्ति वर्ग तथा 27 प्रतिशत निम्न अभिवृत्ति वर्ग के क्रान्तिक अनुपातों को सारणी 3.7.1 में प्रस्तुत किया गया है।

vfUre vfHkof`Ùk d dFkuk dk {k=kuqlkj oxhZdj.k

प्रारम्भिक अभिवृत्ति मापनी में कथनों की संख्या 55 थी 15 कथनों को विश्लेषण के आधार पर मापनी से निकाल दिया गया जिसके फलस्वरूप अन्तिम मापनी में कथनों की संख्या 40 रह गई मापनी में सम्मिलित कथनों को क्षेत्रानुसार सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। अभिवृत्ति मापनी में सम्मिलित 5 कथन दो क्षेत्रों में शामिल हैं । ये कथन है – 3,17, 26, 31 तथा 35 हैं।

lkj.kh 2 vfHkofÙk ekiuh e {k=ku lkj dFkuk dh l:[;k

Øekd	{k= dk 'kh"kd	dFkuk dk Øekd	dy dFku
1	सामान्य बाल अधिकार	1, 5, 11, 21, 26, 32, 39,	7
2	प्रतिभाशाली बालक	15, 40	2
3	बालश्रम	16, 20	2
4	कन्या भ्रूण हत्या	31	1
5	परिवार कल्याण	2, 28, 30, 31	4
6	स्वास्थ्य	3, 4, 9, 10, 25, 35	6
7	समता तथा समानता	27, 34	2
8	विकलांग बालक	12, 14, 17	3
9	काम शिक्षा	18, 19	2
10	माता तथा बालक	3, 7, 24	3
11	दण्ड	6, 22, 23, 33	4
12	किशोर अपराधी	13	1
13	दुर्गम क्षेत्रों के बालक	26	1
14	बालक का सम्मान	17, 29	2
15	विद्यालय पूर्व बालक	35	1
16	परम्परागत विद्यालय	36	1
17	संयुक्त परिवार के बालक	37	1
18	अध्यापक प्रशिक्षण	38	1
19	अनिवार्य शिक्षा	8	1
;kx			45

एक से अधिक क्षेत्रों में सम्मिलित कथन 3, 17, 26, 31 तथा 35 हैं। कुल कथन=40

vfHkofÙk ekiuh e cky vf/kdkjk d i{k rFkk foi{k e dFku

अभिवृत्ति मापनी में अनुसंधान की निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए तथा उत्तरदाता को ऐसा सोचने समझने के लिए कथनों को पक्ष तथा विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु पक्ष तथा विपक्ष में कहे गये कथनों की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें कृत्रिमता या बाध्यता का आभास नहीं होना चाहिए। हमारी अभिवृत्ति मापनी में कथनों की कुल संख्या 40 में से 24 कथन बाल अधिकारों के पक्ष में तथा 16 कथन बाल अधिकारों के विपक्ष में कहे गए है। अनुसंधायक यह जानते हुए भी कि पक्ष तथा विपक्ष में कहे गये कथनों की संख्या लगभग समान होनी चाहिए कथनों का स्वरूप अस्वाभाविक तथा विकृत हो जाने के कारण समान संख्या नहीं रख पाया हैं। इस प्रकार केवल चार कथन पक्ष में अधिक कहे गये है। हमारी अभिवृत्ति मापनी में पक्ष में कहे गये तथा विपक्ष में कहे गये कथनों की क्रम संख्याओं को सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

lkj.kh 3 vfHkofÙk ekiuh e i{k rFkk foi{k e dg x; dFkuk dh l[;k

i{k e dg x, dFkuk dh Øe l[;k	foi{k e dg x, dFkuk dh Øe l[;k
1, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39	2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 40
dy 24	16

vfHkofÙk lEcU/kh dFkuk dh o/krk %

अभिवृत्ति सम्बन्धी कथनों में वैधता सम्बन्धी निम्नलिखित गुण हैं।

1 0;kidrk %निर्माण की गई अभिवृत्ति मापनी व्यापक है इसमें बाल अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न 19 क्षेत्रों के सम्बन्ध में कथनों का चयन किया गया है। कथनों के क्षेत्रों को सारणी 3.8 में प्रस्तुत किया गया हैं। अतः यह मापनी व्यापक है।

2 कथनों के निर्माण में वे सभी विशेषताएँ हैं जिन्हें क्रमांक 3.7 के शीर्षक में प्रस्तुत किया गया है।

vfHkofÙk ekiuh dh fo'oluh;rk %

1 .किसी भी मापनी की विश्वसनीयता का अर्थ उस पर विश्वास करने की सीमा से है। यदि परीक्षण का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों पर कुछ समयान्तराल के बाद किया जाए तो द्वितीय तथा प्रथम परीक्षण में अंक समान आने चाहिए । इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में स्थायीत्व रहना चाहिए । विश्वसनीयता जानने के लिए आमतौर पर तीन विधियां प्रयुक्त की जाती हैं – 1. परीक्षण पुनः परीक्षण। 2. समतुल्य विश्वसनीयता परीक्षण विधि । 3. अर्द्धविच्छेदी विश्वसनीयता विधि । हमने अपने परीक्षण की विश्वसनीयता जानने के लिए अर्द्धविच्छेदी विश्वसनीयता विधि का प्रयोग किया है । इसकी दो विधियां हैं । पहली प्रथम अर्द्धान्श विधि तथा द्वितीय अर्द्धान्श विधि । दूसरा सम तथा विषम क्रमांक अर्द्धान्श विधि हमने अपने परीक्षण की सम तथा विषम अर्द्धान्श विधि से विश्वसनीयता ज्ञात की है। इस विधि में पियरसन का सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात करके अर्द्धविच्छेदी विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है । हमारे परीक्षण की अर्द्ध विच्छेद विधि के प्रतिफल सारणी 4 में प्रस्तुत है।

lkj.kh 4 vfHkofÙk ekiuh dh le rFkk fo"ke v)kZ'k fof/k;ksa dk }kjk lg lEcU/k xq.kkad ,oa fo'oluh;rk xq.kkad

विधि	पियरसन सहसम्बन्ध गुणांक	अर्द्ध विच्छेदी विश्वसनीयता गुणांक
सम तथा विषम	0-3100	0-47328

vfHkofÙk ekiuh dh foHksndrk %

समग्र अभिवृत्ति मापनी के समस्त कथनों की विभेदकता का अध्ययन करने के लिए हमने 27 प्रतिशत उच्चतम अंक प्राप्तकर्ता अध्यापकों तथा 27 प्रतिशत निम्नतम अंक प्राप्तकर्ता अध्यपकों के अंकों में पारस्परिक क्रान्तिक अनुपात की गणना की है जिसे सारणी 5 में प्रस्तुत किया गया है । जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उच्च अंक प्राप्तकर्ता तथा निम्न अंक प्राप्तकर्ता समूहों के मध्यमान अंकों का अन्तर का पारस्परिक क्रान्तिक अनुपात उच्च स्तर का विभेद प्रकट कर रहा है।

lkj.kh 5 vfHkofÙk ekiuh esa mPpre vad ikIrdrkZ 27 izfr'kr rFkk 27 izfr'kr fuEure vad ikIrdrkZ 140$140 = 280 v/;kidksa dk vfHkofÙk vadksa dk e/;ekuksa esa ikjLifjd ØkfUrd vuqikr rFkk mldh lkFkZdrk dk LrjA

oxZ	e/;eku	izeki fopyu	ØkfUrd vuqikr		
			eY;	Mh-,Q-	lkFkZdrk
उच्च वर्ग	**188 .72**	**6. 04**	**42.72**	**27 8**	**0.000**
निम्न वर्ग	**146 .00**	**10.10**			

vfHkofÙk ekiuh esa cky vf/kdkjksa dk fofHkUu {ks=ksa dk izfrfuf/kRo&

अभिवृत्ति मापनी को विश्वसनीय बनाने के लिए विषय के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हमारी अभिवृत्ति मापनी में यथा सम्भव सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। अभिवृत्ति मापनी में 19 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है जिसमें प्रत्येक क्षेत्रों में उपक्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अधिकार क्षेत्रों का वर्गीकरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ

Balakrishanan, R (1994): The Sociological Context of Girls' Schooling: Micro Perspectives from Delhi Slums in Social Action, 44 (July-September) 1994.

Balasbramarian, R. (Ed.) 1992 : Tolerance in Indian Culture New Delhi. Indian Philosophical Research.

Barua, B. (2003) : Jour. of All India Association for edu. Research Vol. 15, 3-4.

Basu , D.D. (2003) : Human Right in constitutional Law New Delhi Law Publishers, II Edition.

Bee, H. (1978) : The Developing Child, New York : Harper & Row Publishers.

Best, John W. (1986) : Research in Education, New Delhi Prentice Hall.

Beckett,Chris(2007): Child Protection-an Introduction. New Delhi SAGE Publications. www.sagepublication.com.

Bhagia, N.M. (1980) : Promoting Attitudes and Values through Environmental Studies. Naya Shikshak, Rajasthan Bikaner, 23 (2), 9-21.

Bhargava, R. (1998): Secularism and its cities, New Delhi, Oxford University, Press.

Bhaskara, R.D. (1997) : Scientific attitude, New Delhi, Discovery Publishing House.

Education, 25-26(4-1), 39-43.

Black, M (1994) : Children First: The Story of UNICEF, Past and Present, Oxford University Press.

Chaudhary, M. & Kaur, P. (1997) : Impact of Home Environment on moral Values of children. Indian Educational Abstract 2.35. (Full article in Praachi Jour. of Psycho-cultural Dimensions, 9(1), 39-43)

Centre for Communication and Development (2007): DCWC Research Bulletin Oct.-DEC 2007

Committee for legal aid to poor (2006): DCWC Research Bulletin Apr-Ju.2007

CRY(2001):The Indian Child,2001.Child Relief and You,Mumbai,189/A Sane Guruji Marg Anand Estate.(www.cry.org.)

CRIN: Child Right Information Network c/o Save The Child.1 Sant John, Lane London ECIMAAR London.U.K. www.crin.org

Dhanda, V. & Nath, M. (1994) : Prachi Jour. of Psycho-Cultural Dimentions vol. 10C 1 , 1981

Durkheim, E. (1953) : Moral Education, New York : Free Press of Glencoe.

Edword, Landon (1991) : Encyclopedia of Human Rights, London Francis Inc.

Ebrahim,G. J,(1985) :Social and Community Pediatrics in developing Countries Caring for the Rural and Urban Poor Macmillan.

Ehlers, H. (1977) : Crucial Issues in Education, New York : Holt, Rinehart and Winston.

Gangani Rajesh (2006): Status of Children in India .New Delhi Cyber Tech Publication.

Garret, E. Henry (2004) : Statistics in Psychology & Education. New Delhi, Paragon International Publishers, Dariyaganj.

Geetha,C.V& Bhaskar,G (1993) :Education for human rights and democracy. Simla,Indian Institute of Advance Studies, Workshop.

Giri,K (1995):Safe Motherhood Strategies in the Developing Countries in H M Wallace, Giri, K and Serrano, C V (eds) Health Care of Women and Children in Developing Countries, Oakland C A: Third Party Publishing Company .

Goldbrick, D.M. (1991) : Human Rights, its Role in development of International conversant on Civil & Political Rights. Oxford Uni.

Govt. of India :

: Report of committee on Emotional Integration, Ministry of education, 1962.

: Report of the committee for review of National policy of education 1986, 1990.

: Report of the committee on Religious and Moral. Instruction. Ministry of Education. 1959.

: Report of the Education commission on education and National Development 1964-66. Ministry of education. 1966.

: Report of the National Policy on education (1986) Ministry of Human Resource Dev.

: The Pre Conception and Pre Natal Diagnosis Techniques (Prohibition of Sex Selection) ACT No 57 of 1994 Amendment vide 14 of 2003.Dated 14-2-2003.

: The Pre Diagnostic Technique (Regulation & Prevention of misuse) Rule 1996 Amended vide G S R 109 (E) dated 14-2-2003.

: Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and full participation Act 1995 No 1 of 1996 w. e .f. 1-1-1996.Published in Gazette of India Part II Sec I extra ordinary dated 1-1-1996.

: *National Trust for Welfare of Persons with Autism Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999.Act 44 of 1999. Published in Gazette of India Part II Sec E extra ordinary dated 30-12-1999.*

: *Juvenile Justice(Care &Protection of children) Amendment Act,2006 notified in the Gazette of India on 23rd August 2006.*

: *Child Protection-A Hand book for teachers Ministry of women and child development.2006.*

: *Annual Report- 2007-2008 Ministry of women and child development..*

: *National Guidelines on Infant & Young Child Feeding .Ministry Of Women &Child Deployment & Food and Nutrition Board*